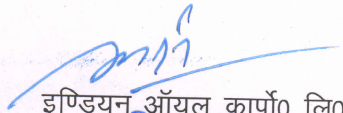


प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार (संरक्षण, लागत और सुरक्षा आदि) पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्णरूपेण किया जायेगा।


इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०
राजीव टण्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान करने सम्बन्धी
वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि के प्रस्ताव में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि का इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि जमा करने की वचनबद्धता दी जाती है।

राजीव टन्डन
(चुने हुए अध्यक्ष, रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन0एच0 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

नियम व मानक शर्तों का पालन करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन विभाग उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियम व मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

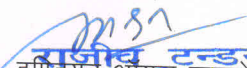
सजीव टन्डन
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन0एच0 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- 7314/14-3-1980/82, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षि/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. वाचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए गुनारे आदि कि देख भाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित ना किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जंतुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पोधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. वाचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को ना रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए वन विभाग का प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बन्धित पत्र संख्या- 608/सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वनमार्गों का मामूली फेरबदल कर पक्का कराना होगा, बशर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो वाचक विभाग को मान्य होगा।

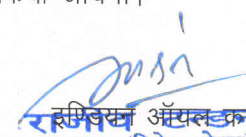
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव ना हो सके और उसका पतन आवश्यक हो ता याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध हैं। किसी प्रकार बॉज पेड़ों का पातन भी वर्जित हैं ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खंभों को ऊंचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों कि संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर संबन्धित वन संरक्षक अनुमोदन अनिवार्य हैं
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाए, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए।


राजीव टन्डन
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्रबंधक, ग्राहक संबंधन
मुद्रादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुद्रादाबाद

(वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 11-268/2014 F.C. दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या)

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के अंतिम कोने से बफर स्ट्रिप की दूरी 11.50 मी0 है, तथा सम्पर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.07595 है0 है, जो लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अधीन है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. रोड़ का निर्माण या चौड़ीकरण न होने के कारण प्रस्तावित बिन्दु- 4 लागू नहीं होता है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के व्यय पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।


इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

वनभूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि की गणना निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की गयी है।

1
राजीव टन्डन
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद पंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

Name of Proposal- Expost facto approval for Diversion of Protected Forest Land for construction of approach road to the retail outlet located at Aligarh- Mathura Road km stone 05 at Khasra no. 30

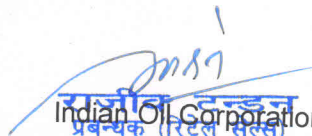
JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST AREA

As the proposed project is construction of approach road to the retail outlet located on Aligarh-Raya-Mathura Road km stone 05 at Khasra no. 30

1. It is best suitable alignment from technical point of view and requiring minimum forest area.
2. Earthwork cutting and banking is minimum.
3. No trees are proposed to be felled under this proposal.

There is no suitable alternative non-forest land for construction of approach road to the retail outlet at km stone 05 on Aligarh-Raya-Mathura Road .

Hence, the requirement of 0.07595 ha. Protected Forest land has been unavoidable due to none availability of any alternate land is barest minimum required for the project.


Indian Oil Corporation Limited
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि हेतु मक

डिस्पोजल योजना के संबंध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि में किसी प्रकार का मिटटी खुदान कार्य न किया गया है न ही किया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include :-

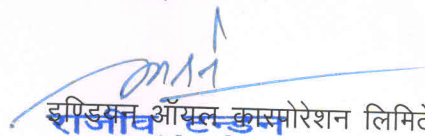
1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied N.A.
2. Quantity of muck to utilized in the project activities N.A.
3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan ? N.A.
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. N.A.
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. N.A.
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and. other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. N.A.
8. Rehabilitation of dumping site like levelling planting of grass, shrubs and tree species. N.A.

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that :

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action at their cost.
- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.


 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
 प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
 मुरादाबाद मंडल कार्यालय
 कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
 एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद

परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि से आसपास के ग्रामों एवं मार्गों से आने जाने वाली जनसंख्या आदि लाभान्वित होगी।


सजीव टन्डन
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट धानवाड़ा, मुरादाबाद

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों (जो भी मान्य हों), प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य होंगी।

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल, कोलकाता
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाववाड़ा, मुरादाबाद